



BSNL EMPLOYEES UNION

Main Recognised Representative Union in BSNL

(Regd. under Indian Trade Union Act 1926. Regn.No. 4896)

B.S. RAGHUWANSHI
Circle Secretary

PRAKASH SHARMA
Circle President

No. BSNLEU/MP Circle / CEC/2022-2025/1

Dated: 01.09.2022

अधिसूचना

बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन के संविधान की धारा 15 (iv) के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्रसारित की जाती है कि बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन मध्यप्रदेश परिमंडल की विस्तारित कार्य समिति की बैठक दिनांक 15 सितंबर, 2022 को पी एण्ड टी कम्युनिटी हॉल, भदभदा रोड, भोपाल में सुबह 10.00 बजे आरम्भ होगी। सीईसी की अध्यक्षता कॉमरेड प्रकाश शर्मा, परिमंडल अध्यक्ष करेंगे। मार्गदर्शन हेतु कॉम. पी. अभिमन्यु, महासचिव, BSNLEU, नई दिल्ली उपस्थित रहेंगे। विस्तारित CEC में " BSNL की क्षीण आर्थिक स्थिति के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है, कर्मचारी नहीं " विषय पर सेमिनार भी होगा।

बैठक के विचारणीय विषय :

1. स्वागत उद्बोधन
2. अध्यक्षीय उद्बोधन
3. सचिव मंडल की ओर से प्रस्तुत संक्षिप्त प्रतिवेदन पर चर्चा व निर्णय
4. दो दिवसीय आम हड़ताल (28 एवं 29 मार्च, 2022) की समीक्षा
5. AUAB, CoC और CHQ के आव्हान पर आयोजित विभिन्न आंदोलनों/आयोजनों की समीक्षा
6. अखिल भारतीय अधिवेशन, गुवाहाटी में परिमंडल यूनियन की सहभागिता
7. मैसूर में संपन्न विस्तारित सीईसी में लिए गए निर्णयों का अनुपालन
8. BSNL का रिवाइवल, तृतीय वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन आदि हेतु किए गए प्रयास एवं 4G में विलम्ब, एनएमपी, विनिवेश व निजीकरण के खिलाफ किए गए संघर्ष
9. द्वितीय रिवाइवल पैकेज की घोषणा
10. नौवें मेम्बरशिप वेरिफिकेशन हेतु रणनीति
11. परिमंडल यूनियन के कार्य व गतिविधियां
12. संगठनात्मक स्थिति
13. BSNL WWCC का पुनर्गठन
14. CCWF, AIBPDA व AUAB से समन्वय
15. प्रस्ताव
16. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

नोट: इस सीईसी में जिला सचिव, परिमंडल पदाधिकारी, विशेष आमंत्रित सदस्य व परामर्श मंडल के सदस्यों के अलावा ब्रांच सेक्रेटरी व अन्य डेलिगेट भी उपस्थित रहेंगे।

भवदीय,

(बी एस रघुवंशी)
परिमंडल सचिव

प्रतिलिपि:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. महासचिव, बीएसएनएलईयू, नई दिल्ली | 5. महाप्रबंधक, सीएनटीएक्स |
| 2. परिमंडल अध्यक्ष, बीएसएनएलईयू | 6. सीई सिविल / इलेक्ट्रिकल, भोपाल |
| 3. मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, भोपाल | 7. सभी जिला सचिव / सीईसी मेंबर्स |
| 4. वरिष्ठ महाप्रबंधक, (एच. आर. एवं एडमिन) | |

निवेदन: वरिष्ठ महाप्रबंधक (एच. आर. एवं एडमिन) से अनुरोध है कि विशेष आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र जारी करें।